

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद

पत्रांक 1274 / 14-1 मुरादाबाद दिनांक, अक्टूबर 17, 2017

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:- जनपद सम्मल में मेरठ-बदायूं मार्ग (राज्य मार्ग-18) किमी० 142.600 से 162.000 तक के 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ के पत्र सं०-8बी/यू०पी०/06/52/2017/एफ०सी०/74 दिनांक 14.08.2017 एवं आपका पत्रांक-473 /बदायूं/23576/2017, लखनऊ, दिनांक 18.08.2017।

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र (दिनांक 14-08-2017) द्वारा विषयक प्रस्ताव में इंगित की गई आपत्ति का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग, सम्मल ने अपने पत्र संख्या-728/14-1, दिनांक 14-10-2017. द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग, सम्मल से प्राप्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या/अभिलेख की 3 मूल पत्रावली अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है-

Observation No.	Observation of GOI	Reply/Modification (संशोधन/निराकरण)
1.	The signature of person authorised to make application on behalf of User Agency has not been authenticated in document uploaded at part-I A-3(xvii)	पार्ट-1 में पार्ट-1 ए-3(xvii) में श्री कर्मवीर सिंह, सहायक अभियन्ता को आवेदन हेतु नामित किया गया है (छायाप्रति संलग्न है)। फार्म-ए पुनः अपलोड कर दिया गया है।
2.	Geo referenced map uploaded at C-b (iv) in part-I of the proposal is without geo coordinates of key points.	जीयो कॉर्डिनेट मैप में अंकित 1 से 43 तक के कॉर्डिनेट को पुनः अपलोड कर दिया गया है, जोकि प्रस्ताव में पृष्ठ सं०-28 में अंकित है।
3.	Certificate under FRA 2006 issued from DM Sambhal is without dispatch number, date and language does not include right issues of pre agricultural communities. The certificate needs revision.	जिलाधिकारी, सम्मल द्वारा जारी एफ०आर०ए०-2006 का प्रमाण पत्र पुनः पृष्ठांकन व दिनांक के साथ अपलोड कर दिया गया है, जो प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-60 पर अंकित है।
4.	Linear strip plan needs revision due to the fact that it does not show width of protected forest proposed for diversion on both side along with balanced remaining width chainage wise.	लीनीयर स्ट्रीप प्लान में चैनैज 142.600 से 162.000 तक मार्ग के दोनों ओर 6.00-6.00मीटर संरक्षित वन भूमि प्रस्तावित है, जोकि पृष्ठ सं०-32 पर अंकित है। अवशेष वन भूमि प्रायः सभी जगह शून्य क्षेत्रफल रहेगा।
5.	Details of proposed forest land for diversion chainage wise along with remaining width of PF has not been submitted with the proposal.	उपरोक्तानुसार।
6.	Gazette notification of forest land in hard copy is not legible.	गजट नोटिफिकेशन की साफ प्रति पृष्ठ सं०-58 व 59 पर संलग्न की गयी है।
7.	Crown Density of the forest crop is under estimation as around 100 trees per ha. is getting affected. The same needs revision.	पार्ट-2 में क्राउन डेनसिटी 0.2 के स्थान पर 0.3 कर दी गयी है। जो पृष्ठ सं०-21 पर अंकित है।
8.	Proposed compensatory afforestation patch is located in flood plains of river and google overlay shows numerous agricultural patches; Suitability of such patch for CA shall be reconsidered.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर ने अपने कार्यालय के पत्रांक-1171/14-1, बिजनौर, दिनांक 11.10.2017 से चांदपुर रेंज के दतियाना वन ब्लॉक में 47.00है० भूमि का चयन करते हुये, चयनित भूमि के डिजिटल डाटा मानचित्र, टोपोशीट, भूमि उपयुक्ता प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित पृष्ठ सं०-44 से 47 पर संलग्न है। इसे अपलोड भी कर दिया गया है। उक्त भूमि बिजनौर वन प्रभाग द्वारा अतिक्रमण कार्यों से अवमुक्त कराई गई है, जिस हेतु गूगल मैप पर कृषि भूमि जैसा प्रतीत हो रहा है। उक्त समस्त भूमि बिजनौर प्रभाग के अधीन है।

कृपया :- 12

9.	Joint Inspection report has been uploaded in place of Site inspection report of DFO in part-II.	डी0एफ0ओ की संयुक्त निरीक्षण आख्या के साथ-साथ स्थल निरीक्षण आख्या भी पार्ट-11 में अपलोड कर दी गयी है।
10.	Incorrect part-III and V has been uploaded with the proposal.	पार्ट -2 में रिक्मनडेशन में लेटर के साथ पार्ट -3 अपलोड है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(आर0पी0 वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

संख्या 1274 / 14-1 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग, सम्मल को उनके पत्रांक-728/14-1, दिनांक 14-10-2017 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने माध्यम से विषयक प्रस्ताव (इस कार्यालय से प्राप्त कर) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आर0पी0 वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।